आदेश की क्रम सं0 और तारीख	(1) आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर अपर समाहर्त्ता, वैशाली जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–01/15–16 अंचल अधिकारी, चेहराकलां बनाम सियावती देवी वगैरह	आदेश पर की कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
30.2.16	**आदेश** प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–01/15–16 अंचल अधिकारी, चेहराकलां बनाम सियावती देवी वगैरह से संबंधित अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, महुआ के पत्रांक 1108 दिनांक 30.11.15 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं अंचल अधिकारी, चेहराकलां के जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–01/15–16 पर अंचल अधिकारी, चेहराकलां के प्रस्ताव एवं मन्तव्य का अवलोकन किया। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, महुआ एवं अंचल अधिकारी, चेहराकलां द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में जमाबंदीधारी सियावती देवी पति–रामदेव राय वो पुरनी देवी पति–राम प्र0 राय ग्राम–शेरपुर जलाल पो0–अबाबकरपुर थाना–गोरौल जिला–वैशाली का विधिवत सूचना दी गई है। तदनुसार विपक्षी उपस्थित होकर अपना लिखित विरोध–पत्र एवं साबूत दाखिल किया है, जिसपर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षी के कथनानुसार प्रश्नगत भूमि पुराना खाता नं0–72 पुराना खेसरा नं0–26 रकवा 1.39 डी0 मौजा–शेरपुर जलाल तौजी नं0–2979 के भूतपूर्व मालिक मो0 इब्राहीम थे। उक्त भूतपूर्व मालिक के यहाँ उनके सौहरी परिवार रहते थे तथा उनके सेवा टहल करते थे, जिससे खुश होकर भूतपूर्व मालिक ने उक्त पुराना खेसरा नं0–26 का रकवा 15 (पन्द्रह कट्ठा) उनके पूर्वज जमीन्दार उनके पूर्वज को उक्त भूमि बंदोवस्त कर दिया है तथा उसका लगान भूतपूर्व मालिक को अदा कर रसीद प्राप्त कर रहे थे तथा जमीन्दारी उन्मूलन के समय भूतपूर्व मालिक ने उक्त बंदोवस्ती वाली जमीन का जमाबंदी रिटर्न विपक्षी के पूर्वज के नाम से जमा किया है। विपक्षी के कथनानुसार विपक्षी सौहरी परिवार के पूर्वज रामकिशुन राय थे। रामकिशन राय के दो पुत्र क्रमशः रामदेव राय वो राम प्रसाद राय हुए। साथ ही कथन किया है कि रामदेव राय अपनी विधवा पत्नी सियावती देवी को एक पुत्र राम सुरत राय को छोड़कर मर गये तथा राम प्र0 राय भी अपनी पत्नी पुरनी देवी को तीन पुत्र क्रमशः लखिन्दर राय वो रामजी राय वो श्यामजी राय को छोड़कर मर गये। रामदेव राय वो राम प्र0 राय के मृत्यू के पश्चात दोनों भाईयों की पत्नी सियावती देवी वो पुरनी देवी संयुक्त आवेदन अंचल अधिकारी, गोरौल को बंदोवस्ती वाले जमीन को लगान निर्धारण हेतु दिया, जिसके आधार पर वाद सं0–612/65–66 संधारित किया गया तथा संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसके संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी ने उक्त पुराना खेसरा नं0-26 रकवा 15 (पन्द्रह) कट्ठा से निर्मित नया खेसरा नं0–291 रकवा 65 डी0	

का प्रतिवेदन विपक्षी के दखल वो कब्जा होने का सम्पुष्ट करते हुए दिया है, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, गोरौल ने जमाबंदी सं0–659 कायम करते हुए लगान निर्धारण का आदेश पारित किया है तथा उक्त आदेश के आलोक में विपक्षीगण लगान भुगतान कर रहे है।

साथ ही विपक्षी ने कथन किया है कि उक्त कायम जमाबंदी के विरूद्ध स्थानीय ग्रामीणों ने उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, महुआ के न्यायालय में आपत्ति दाखिल किया है, जिसके आधार पर वाद सं0–229/65–66 संधारित की गई थी तथा उक्त वाद में दिनांक 15.07.1966 को पारित आदेश के अनुसार अंचल अधिकारी, गोरौल के लगान निर्धारण वाद को सही पाया है।

विपक्षीगण का कथन है कि सर्वे कर्मचारियों के गलती से उक्त पुराना खेसरा नं0–26 रकवा 15 कट्ठा का नया खेसरा नं0–291 बिहार सरकार के नाम से दर्ज हो गया है, जिसकी जानकारी विपक्षीगण को नहीं थी। जानकारी होने के बाद विपक्षीगण ने चकबंदी अधिनियम 10(3) के अन्तर्गत चकबंदी पदाधिकारी, गोरौल के न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में वाद सं0–413/79 दाखिल किया है, जिसमें पारित आदेश के अनुसार नया खेसरा नं0–291 रकवा 0.65 डी0 भूमि सरकार की भूमि नहीं है का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, गोरौल ने खेसरा नं0–291/2517 चक खेसरा नं0–42/1270 रकवा 0.65 डी0 का चकबंदी खतियान विपक्षी के नाम से कायम हुआ है तथा जमाबंदी बँटवारा के अनुसार जमाबंदी सं0–499 सियावती देवी पति–रामदेव राय वो जमाबंदी सं0–500 पुरनी देवी पति–राम प्र0 राय के नाम से कायम हुआ है। इस प्रकार मौजा शेरपुर जलाल थाना–गोरौल जिला–वैशाली अन्तर्गत अवस्थित भूमि खेसरा नं0–291 का रकवा 65 डी0 जानिव दक्षिण से बिहार सरकार की भूमि नहीं है। साथ ही उल्लेखित किया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में हकियत वाद सं0–139/2016 व्यवहार न्यायालय चल रहा है। विपक्षीगण ने अपने कथन की पुष्टि में नियमन एवं सबूत दाखिल किया है।

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, महुआ के पत्रांक 1108 दिनांक 30.11.15 एवं अंचल अधिकारी, चेहराकलां के अभिलेख सं0–01/15–16 पर उपलब्ध राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक तथा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, महुआ एवं अंचल अधिकारी, चेहराकलां का अवलोकन किया। उक्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के अनुसार पुराना सर्वे के अनुसार खाता नं0–72 खेसरा नं0–26 रकवा 1.39 एकड़ परती कादिम नया सर्वे अनुसार खाता नं0–393 खेसरा नं0–291 रकवा 1.62 एकड़ किस्म जमीन बिहार सरकार गैरमजरूआ दर्ज है। बिहार जोत समेकन एवं खण्डीकरण निवारण अधिनियम 1956 की धारा–26(क) के

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	(3) आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

तहत् समेकन संक्रिया अभी बन्द नहीं हुई है। यानी चकबंदी अभिलेख का अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है। इसलिए चकबंदी वाद सं0–413/79 के आधार पर कायम जमाबंदी सं0–410/89–90 गलत है। जब कायम जमाबंदी सं0–410/89–90 गलत है, तो इस जमाबंदी के आधार पर पुनः वाद सं0–759(क)/95–96 से विभाजन कराकर जमाबंदी सं0–499 एवं जमाबंदी सं0–500 कायम करना गलत है का उल्लेख करते हुए प्रस्तावित किया है कि कायम जमाबंदी सं0–410/89–90 रकवा 0.65 डी0 एवं वर्त्तमान में जारी जमाबंदी सं0–499 एवं 500 को निरस्त कर रकवा 0.65 डी0 जमीन पुनः गैरमजरूआ बिहार सरकार के खाता सं0–499 में सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया है।

उपर्युक्त सभी तथ्यों के अवलोकन एवं विचारण से यह बात प्रकाश में आती है कि

(1) सक्षम पदाधिकारी के बिना आदेश का जमाबंदी का सृजन किया गया का कोई विधिक महत्व नहीं है अर्थात जान–बुझकर गलत नियत के तहत विद्यालय की जमीन को हड़पने के लिये राजस्व कर्मियों की मिली–भगत से जमाबंदी का सृजन जमाबंदीदार द्वारा कराई गई है।

(2) अंचल अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया जमाबंदी गलत तरीका से सृजित की गई है, जिसको रद्द कर सरकार के नाम रिविजनल सर्वे के अनुसार करने का अनुशंसा की गई है।

(3) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने अपने जॉच प्रतिवेदन में अंकित किया है कि सर्वे खाता 393 खेसरा 291 कुल रकवा 1.62 एकड़ किस्म जमीन स्कूल दर्ज है, का उपयोग सर्व–साधारण के लिये किया जाता है, यथा आंगनवाड़ी केन्द्र, दुर्गास्थान, पक्का चबुतरा, ईंट सोलिंग, विद्यालय इत्यादि है में से 65 डी0 जमीन का गलत तरीके से जमाबंदी संख्या 499 एवं 500 कायम किया गया, जिसको आधारहीन पाकर गलत करार देते हुए पाया है एवं उनका कथन है "पूर्व में कायम जमाबंदी सं0–410/89–90 रकवा 65 डी0 एवं वर्तमान में जारी जमाबंदी सं0–499 एवं 500 को निरस्त कर रकवा 65 डी0 जमीन पुनः गैरमजरूआ बिहार सरकार के खाता सं0–393 में सम्मिलित करने हेतु बिहार भूमि दाखिल–खारीज अधिनियम 2011 के अध्याय–VII धारा–9 एवं बिहार भूमि दाखिल– खारीज नियमावली 2012 के अध्याय–VI धारा–13 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है"।

(4) चकबंदी कार्यालय द्वारा कायम नये सर्वे का कोई महत्व नहीं है क्योंकि U/s 26A THE BIHAR OF CONSOLIDATION OF HOLDING AND PREVENTION Of fragmentation Act 1956 के अन्तर्गत कार्रवाई बंद नहीं हुई है। इसलिए उसके आधार पर विद्यालय की जमीन का जमाबंदी कायम करना गलत एवं गैरकानूनी है।

(5) न्यायिक प्रक्रिया को भ्रमित करने के लिए राजस्व कर्मियों द्वारा नीजि लाभ के प्राप्ति के लिए विद्यालय जैसे जन उपयोगी संस्था की जमीन का जालफरेब कर जमाबंदी कायम किया गया है।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	(4) आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

(6) जमाबंदीदार द्वारा कोई कागजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसका कोई कानूनी मान्यता हो।

(7) राजस्व कर्मचारी द्वारा निर्गत रसीद से प्रथम दृष्टया यह सिद्ध हो रहा है कि जमाबंदीदार को लाभ पहुँचाने के लिय राजस्व कर्मचारी द्वारा लगान रसीद निर्गत कर उसका स्वामित्व स्थापित करने एवं सरकारी हित की क्षति पहुँचाने की कार्रवाई की गयी है।

(8) जमाबंदी कानून के धारा–9(i)(2) के आलोक में जमाबंदीदारों को सविस्तार सुना गया तथा उनसे कागजी साक्ष्य की मांग की गई, परन्तु जमाबंदी सृजन के संबंध में कोई प्रमाणित कागजी साक्ष्य नहीं दिया गया, जो उन्हें जमाबंदी सृजन को वैध करार दे सके।

उक्त बिन्दुओं के आधार पर जमाबंदी सं0–499 एवं 500 को प्रद्त शक्ति का उपयोग करते हुए रद्द किया जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी, चेहराकलां को निदेशित किया जाता है कि उल्लेखित तथ्यों के आलोक में संबंधित राजस्व कर्मचारी को चिह्नित कर सूचित करें, ताकि उनके विरूद्ध कानूनी प्रक्रिया की कार्रवाई की जा सके।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
अपर समाहर्त्ता,
वैशाली।

ह0/–
अपर समाहर्त्ता,
वैशाली।

ज्ञापांक :– 654 / दिनांक :– 29.3.16

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, चेहराकलां को सूचनार्थ तथा जमाबंदी सं0–499 एवं 500 को खारीज कर बिहार सरकार के अधीनस्थ विद्यालय के नाम अंकित खाता, खेसरा में सम्मिलित करें। साथ ही दोषी राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को चिन्हित कर इसकी सूचना एक सप्ताह के अंदर भेजना सुनिश्चित करें, ताकि कानूनी प्रक्रिया की कार्रवाई की जा सके।

प्रतिलिपि :– उप समाहर्त्ता भूमि सुधार एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआ को अभिलेख सं0–01/15–16 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, वैशाली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/16

अपर समाहर्त्ता
वैशाली।